



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 30 अक्टूबर, 2024 / 08 कार्तिक, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 19th October, 2024

No. EXN-F(10)-42/2017-Vol-II.—In exercise of the powers conferred by Section 110 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), read with clause (d) of

Sub-section (1) of Section 110 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), and the proviso thereof, the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Goods and Services Tax Council, vide letter No. A-50050/102/2023-CESTAT-DOR dated 03-07-2024, is pleased to notify an Officer of the Commercial Tax Department of Himachal Pradesh *i.e.* State Taxes and Excise Department, who has completed at least twenty-five years of service in the Himachal Pradesh Government, as Gazetted Officer, to be eligible for the appointment as Technical Member (State) in the State Bench may be considered by the GIC. This notification shall be effective for a period of ten years from the date of its publication in the e-Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order,

Sd/
(DEVESH KUMAR)
Pr. Secretary (ST&E).

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-02, 29 अक्टूबर, 2024

संख्या यू.डी.-ए.(3)-8/2024-सोलन.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 के नियम 90 के उप-नियम (6) के साथ पठित, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 27 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला सोलन में नगर परिषद, बद्दी की बाबत अध्यक्ष के निर्वाचन को निम्न प्रकार से राजपत्र में अधिसूचित करते हैं:-

नगर परिषद का नाम	निर्वाचित अध्यक्ष का नाम व पता	निर्वाचित/निर्विरोध
नगर परिषद, बद्दी, जिला सोलन, हि0प्र0	श्री सुरजीत सिंह सुपुत्र श्री करम चंद, वार्ड नं0 9, नगर परिषद बद्दी, जिला सोलन, हि0प्र0	निर्विरोध

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
(देवेश कुमार),
प्रधान सचिव (शहरी विकास)।

[Authoritative English text of this Department Notification No-UD-A(3)-8/2024-Solan dated 29th October, 2024 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th October, 2024

No. UD-A(3)-8/2024-Solan .—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 27 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) read with sub-rule

(6) of Rule 90 of the Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify in the Official Gazette, election of President in respect of Municipal Council Baddi, District Solan, Himachal Pradesh as under:—

Name of Municipal Council	Name & Address of Elected President	Elected/unopposed
Municipal Council Baddi, District Solan, Himachal Pradesh	Sh. Surjit Singh s/o Sh. Karam Chand, Ward No. 9, Municipal Council Baddi, District Solan, Himachal Pradesh	Unopposed

By order,

Sd/-
(DEVESH KUMAR)
Pr. Secretary (UD).

In the Court of Sh. Rajender Kumar Gautam, Sub-Divisional Magistrate, Barsar, District Hamirpur (H.P.) exercising the Powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954

In the matter of:

1. Mr. Akshey Thakur age 28 years s/o Sh. Kuldeep Singh, r/o Village & P.O. Bijhari, Tehsil Dhatwal at Bijhari, Distt. Hamirpur (H.P.).
2. Ms. Vijaylaxmi age 18 years d/o Sh. Beli Ram, r/o Village Chawag, P.O. Chatri, Tehsil Thunag, Distt. Mandi (H.P.)
..Appellants.

Versus

General Public

Subject.—Notice of Marriage.

Mr. Akshey Thakur & Ms. Vijaylaxmi have filed an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in this court of undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on dated 18-10-2024 as per Hindu rites and customs at Kalka Mata Mandir, Tikker Rajputtan, Tehsil Barsar, Distt. Hamirpur (H.P.).

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person having any objection regarding this marriage may file the objections personally or in writing before this court on or before 19-10-2024. In case no objection is received by 19-10-2024, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 18-09-2024.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum-SDM,
Sub-Division Barsar, District Hamirpur (H.P.).

**In the Court of Sh. Kartar Chand, Marriage Officer-cum- Sub-Divisional Magistrate
Shahpur, Distt. Kangra (H.P.)**

1. Sh. Arun Kumar s/o Sh. Dharam Chand, r/o Village Nousher, P.O. Rait, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).

2. Smt. Sarojani Suryavanshi d/o Sh. Manharan Suryavanshi, r/o Village Badhonda, P.O. Dharang, Tehsil & Distt. Janjgir Champa (Chhattisgarh) . . Applicants.

Versus

1. General Public

2. Local Registrar, Gram Panchayat Basnoor . . Respondents.

Subject.—Application for the Marriage registration u/s 16 of Registration of Marriage Act, 1954.

Applicants Sh. Arun Kumar s/o Sh. Dharam Chand, r/o Village Nousher, P.O. Rait, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.) & Smt. Sarojani Suryavanshi d/o Sh. Manharan Suryavanshi, r/o Village Badhonda, P.O. Dharang, Tehsil & Distt. Janjgir Champa (Chhattisgarh) has filed an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith declaration in which they have stated that they have solemnized their marriage on 12-06-2023 at Chamunda Nandikeshwar Mandi Nayas, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.) as per Hindu rites & customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file an objection personally or in writing before this court on or before 02-11-2024. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Seal.

Sd/-
(KARTAR CHAND),
Marriage Officer-cum- Sub-Divisional Magistrate,
Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).

ब अदालत नायब तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना,
जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

मुकद्दमा नं० : /2024

किस्म मुकद्दमा: नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी : 06-11-2024

मनोज कुमार पुत्र आशा देवी पुत्री ब्रहमा, निवासी चन्जेहड़, डा० व उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

बनाम

आम जनता

विषय.— नाम की दुरुस्ती करने बारे।

प्रार्थी मनोज कुमार पुत्र आशा देवी पुत्री ब्रहमा, निवासी चन्जेहड़, डा० व उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी द्वारा सूचित किया है कि उसकी माता का

असल नाम आशा देवी पुत्र ब्रह्मा है, उनके अन्य अभिलेख में भी इसी नाम से प्रविष्टी दर्ज है जबकि महाल चंजेहड़ के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी की माता का नाम पपी पुत्री ब्रह्मा दर्ज कागजात माल है, जोकि गलत है। अतः महाल चंजेहड़ के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी की माता के नाम की दुरुस्ती करके पपी पुत्री ब्रह्मा के बजाए पपी उपनाम आशा देवी पुत्री ब्रह्मा करने उपरान्त सही नाम दर्ज कागजात माल किया जावे।

अतः इस इशतहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश व मुस्त्री मुनादी चस्पानगी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 06-11-2024 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 18-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : /2024

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

तारीख पेशी : 06-11-2024

प्रवीन कुमार पुत्र विक्रम सिंह, निवासी महाल ठन्डोल, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—जन्म पंजीकरण बारे।

प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत प्रार्थी प्रवीन कुमार पुत्र विक्रम सिंह, निवासी महाल ठन्डोल, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका जन्म दिनांक 12-10-1985 को गांव ठन्डोल, ग्राम पंचायत ठन्डोल, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में हुआ था। मगर ग्राम पंचायत ठन्डोल के अभिलेख में दर्ज न है।

अतः इस इशतहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश व मुस्त्री मुनादी चस्पानगी के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस जन्म पंजीकरण बारे किसी व्यक्ति या संस्था को उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 06-11-2024 को सुबह 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर उजर प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी प्रवीन कुमार पुत्र विक्रम सिंह की जन्म तिथि 12-10-1985 के पंजीकरण के आदेश सम्बन्धित स्थानीय उप-पंजीकार व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, जसवां, तहसील जसवां,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 02/T/C/2024

तारीख दायरा : 21-06-2024

तारीख पेशी : 06-11-2024

रेखा रानी पुत्री रछपाल सिंह, वासी महाल जखूणी, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.—आवेदन पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

उपरोक्त मुकद्दमा में रेखा रानी पुत्री रछपाल सिंह, वासी महाल जखूणी, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में आवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 26-03-1982 को महाल जखूणी, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा में हुआ था लेकिन मेरी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोटला बेहड़ के अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण एवं उनके रिश्तेदारों को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त रेखा रानी पुत्री रछपाल सिंह, वासी महाल जखूणी, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के जन्म का पंजीकरण करने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 06-11-2024 को समय प्रातः 10.00 बजे या इससे पहले असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/न्यायालय में उपस्थित कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा जन्म तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत कोटला बेहड़ को आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय/न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 43/RNTK

किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी : 06-11-2024

अजय सिंह पुत्र रांझा सिंह, निवासी महाल ककड़ोह, मौजा वेही पठियार, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उनवान : नाम दुरुस्ती हेतु आवेदन पत्र।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी अजय सिंह ने इस अदालत में अपना नाम कागजात माल में अजय सिंह करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया है। क्योंकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम अजय कुमार दर्ज है जबकि तमाम रिकार्ड में अजय सिंह दर्ज है। इस बारे प्रार्थी ने बतौर सबूत नकल परिवार रजिस्टर वर्ष 2021-22 महाल ककड़ोह, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र की प्रति, हल्फिया ब्यान की प्रति साथ संलग्न की है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को बजरिया इशतहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी अजय कुमार की बजाये अजय कुमार उर्फ अजय सिंह पुत्र रांझा सिंह किये जाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 06-11-2024 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी का नाम अजय कुमार उर्फ अजय सिंह पुत्र रांझा सिंह दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 15-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री सुनील चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 11 / 2024

तारीख पेशी : 07-11-2024

किस्म प्रकरण : जन्म पंजीकरण

श्रीमती कुशला देवी पुत्री श्री वुधी सिंह, वासी गांव टम्बर, डा0 कौना, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत कौना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र।
श्रीमती कुशला देवी पुत्री श्री वुधी सिंह, वासी गांव टम्बर, डा0 कौना, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत कौना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में असालतन हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश करते हुए आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-10-1954 को गांव टम्बर, डा0 कौना, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत कौना, जिला कांगड़ा में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत कौना को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इशतहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त की जन्म तिथि 01-10-1954 के पंजीकरण बारे

कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 07-11-2024 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त श्रीमती कुशला देवी पुत्री श्री वुधी सिंह, वासी गांव टम्बर, डा0 कौना, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत कौना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) की जन्म तिथि को पंजीकृत करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत कौना को पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 01-10-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत समाहर्ता उप-मण्डल फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 05/पी/2024

तारीख पेशी : 05-11-2024

1. विजय कुमार पुत्र वीर सिंह, 2. नवल कुमार पुत्र वीर सिंह, 3. सेवा देवी विधवा वीर सिंह, निवासी महाल मोच झिकला, मौजा सुनेट, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0। वादीगण।

बनाम

1. पंकज कुमार पुत्र प्रकाश चन्द, 2. अंकज कुमार पुत्र प्रकाश चन्द, 3. लेख राज पुत्र जमीता, 4. रविन्दर कुमार पुत्र जमीता, 5. सुशील कुमार पुत्र मिलखी, 6. रमेश चन्द पुत्र मिलखी, 7. अशवनी कुमार पुत्र मिलखी, 8. करम चन्द पुत्र उत्तम चन्द, 9. रविन्दर कुमार पुत्र उत्तम चन्द, 10. हंस राज पुत्र कूडा राम, 11. संजीत पुत्र हंस राज, 12. कुलदीप पुत्र हंस राज, 13. रोशन लाल पुत्र कूडा राम, 14. जोगिन्दर सिंह पुत्र कूडा राम, 15. राकेश कुमार उर्फ राकेश चन्द पुत्र रणिया, 16. अशवनी कुमार पुत्र रणिया, 17. शीला देवी विधवा रणिया, 18. कशमीर लाल पुत्र वख्शी, 19. प्रकाश पुत्र खिन्दो, 20. तुला राम, 21. सुरेश कुमार पुत्र तुला राम, 22. सुरिन्दर कुमार पुत्र तुला राम, 23. सुमित कुमार पुत्र सुख लाल, 24. अमित कुमार पुत्र सुख लाल, 25. सतपाल पुत्र जय चन्द, 26. पोली देवी पुत्री जय चन्द, 27. श्वेता देवी पुत्री जय चन्द, 28. जमुना देवी विधवा जय चन्द, 29. रविन्दर कुमार पुत्र कैण्टू, 30. प्रवीन कुमार पुत्र कैण्टू, 31. सुरजीत कुमार पुत्र कैण्टू, 32. अशोक कुमार पुत्र खरुदी, 33. राज कुमार पुत्र खरुदी, 34. संजय कुमार पुत्र किशोरी, 35. प्रीतम सिंह पुत्र किशोरी, 36. खुशी राम पुत्र खरुदू, 37. मनोहर लाल पुत्र खरुदू, 38. इन्द्रजीत पुत्र खरुदू, 39. कूडा राम पुत्र दलीपू, 40. अमित चौधरी पुत्र अशोक कुमार, 41. पिकी देवी विधवा अशोक कुमार, 42. मदन लाल पुत्र फंगण, 43. जीवन लाल पुत्र फंगण, 44. सुनील कुमार पुत्र फंगण, 45. नसीव सिंह पुत्र दलीपा, 46. गणेश कुमार पुत्र दूलो राम, 47. गणपत पुत्र दूलो राम, 48. रवि कुमार पुत्र देव राज, 49. अशवनी कुमार पुत्र देव राज, 50. सुन्दर कुमार पुत्र देव राज, 51. कुशल लता पुत्री देव राज, 52. कंचन कुमारी पुत्री देव राज, 53. विमला देवी विधवा देव राज, 54. राजिन्दर कुमार पुत्र मिलखी राम, 55. करनैल सिंह पुत्र मिलखी राम, 56. केवल सिंह पुत्र किकर, 57. शेर सिंह पुत्र किकर, 58. भारत भूषण पुत्र शैलो, 59. राजेश कुमार पुत्र शैलो, 60. राकेश कुमार पुत्र शैलो, 61. विरेन्दरजीत कौर पुत्री उमेशला, 62. ज्ञान सिंह पुत्र भीण्डू, 63. रणजीत सिंह पुत्र रमेश कुमार, 64. रवनीश कुमार पुत्र रमेश कुमार, 65. रन्जू वाला पुत्री रमेश कुमार, 66. रेशमा देवी विधवा रमेश कुमार, 67. किशोरी लाल पुत्र चन्दू, 68. कशमीरी लाल पुत्र किकर सिंह, समस्त निवासी महाल मोच झिकला, मौजा सुनेट, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। प्रतिवादीगण।

अपील तकसीम (तरीका तकसीम) अधीन धारा अपील 14 हिमाचल प्रदेश भू0-राजस्व अधिनियम 1954 बाबत भूमि खाता नं0 106, कित्ता 312, रकबा 9-76-71 है0 मी0 वाक्या महाल मोच झिकला, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

यह कि अपील तकसीम में प्रतिवादीगण की संख्या बहुत अधिक है और इन्हें साधारण तरीके से समन कर पाना सम्भव न है जिस कारण मिसल अपील तकसीम की कार्यवाही में अनावश्यक देरी हो रही है। अतः उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त मुकद्दमा बाबत अपील तकसीम में अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 05-11-2024 को बाद दोपहर 2.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होना सुनिश्चित करें। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 01-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
समाहर्ता उप-मण्डलाधिकारी फतेहपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 53/24

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

सुरिन्दर कुमार पुत्र देव राज पुत्र मंगते राम, निवासी उप-महाल भागसू नाग (M.C.) धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

1. बिटू राम पुत्र भुजला देवी, 2. परषोतम सिंघ, 3. उत्तम चंद, 4. अर्जुन सिंह, 5. सोहन सिंह पुत्र व 6. सुरेखा देवी, 7. सुदर्शना देवी, 8. रीना देवी पुत्रियां व 9. निर्मला देवी विधवा अमर सिंह, 10. सतीश कुमार, 11. अशोक कुमार, 12. परवीन कुमार पुत्र व 13. उर्मिला देवी, 14. गीता देवी, 15. सीमा देवी, 16. केसरी देवी पुत्रियां भुजला देवी, 17. लाजों देवी, 18. विक्रमा देवी, 19. गीता देवी, 20. भोतु, 21. फिनि, 22. सनीता, 23. सीता पुत्रियां श्री कंठ, 24. लकेश कुमार पुत्र व 25. रक्षा कुमारी, 26. मीना, 27. निर्मला विधवा प्रकाश चंद, 28. महल लाल पुत्र व 29. हल्लों देवी विधवा भगत उपनाम भगत राम, 30. पूर्ण चंद पुत्र व 31. धोनी देवी पुत्री भौर, 32. संतोष कुमार पुत्र व 33. इन्दिरा देवी, 34. सीमा देवी पुत्रिया व 35. विमला देवी विधवा प्रेम दास, 35. संसार चंद पुत्र पूर्ण चंद, 37. दीप पुत्र व 38. निर्मला पुत्री रुक्मणी, 39. सगरांधु विधवा अदालती, 40. अशोक कुमार पुत्र ओम प्रकाश, 41. ओंकार सिंह पुत्र अदालती, 42. लक्ष पाल पुत्र सुरिन्दर पाल, निवासी उप-महाल भागसू नाग, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

विषय.— तकसीम भूमि खाता नं0 143, खतौनी नं0 324 ता 341, खसरा कित्ता 67, रकबा तादादी 10345-46 SQ Mtrs वाक्या महाल उप-महाल भागसू नाग, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी सुरिन्दर कुमार पुत्र देव राज पुत्र मंगते राम, निवासी उप-महाल भागसू नाग (M.C.) धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र तकसीम हुकमन बारे गुजारा है जिसमें प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं। इसलिए उपरोक्त प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी पक्ष को उपरोक्त वर्णित भूमि की तकसीम बारे कोई भी उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 07-11-2024 को अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में उपरोक्त प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज न सुना जाएगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पीति (हि0प्र0)

मिसल नं० : 06/2024

तिथि मरजुआ : 01-10-2024

सुख चन्द पुत्र स्व० श्री सुरजन, गांव यंगकिरतिंग, डा० शांशा, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पीति। प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

सुख चन्द पुत्र स्व० श्री सुरजन, गांव यंगकिरतिंग, डा० शांशा, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि० प्र०) ने एक आवेदन शपथ-पत्र सहित (बराये मृत्यु तिथि इन्द्राज) इस अदालत में जिला पंजीयन (जन्म व मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला लाहौल स्पीति, स्थान केलंग के पत्र संख्या HFW-LSP/ST (B&D) 2024/-2453-54 DATED 21-09-2024 के माध्यम से मिसल इस कार्यालय को दिनांक 01-10-2024 को प्राप्त हुआ है। मिसल में संलग्न शपथ पत्र में प्रार्थी सुख चन्द ने उल्लेख किया है कि मेरी माता जेटी देवी की मृत्यु गांव यंगकिरतिंग, डा० शांशा, तहसील लाहौल में दिनांक 21-09-2018 को हुई है और यही असली मृत्यु तिथि है। मेरे पास मेरी माता की मृत्यु से जुड़ा कोई भी दस्तावेज नहीं है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि किसी को प्रार्थी सुख चन्द की माता जेटी देवी, गांव यंगकिरतिंग, डा० शांशा की मृत्यु तिथि 21-09-2018 ग्राम पंचायत रानिका, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पीति के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करने में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 01-11-2024 तक असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक रिपोर्ट पंजीयन जन्म एवं मृत्यु एवं जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला लाहौल स्पीति के कार्यालय से प्राप्त दस्तावेजों व संलग्न शपथपत्रों के आधार पर प्रार्थी सुख चन्द की माता जेटी देवी, गांव यंगकिरतिंग, डा० शांशा की मृत्यु तिथि 21-09-2018 को ग्राम पंचायत रानिका, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पीति के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 01-10-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लाहौल,
जिला लाहौल एवं स्पीति, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पीति (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 05/2024

तिथि मरजुआ : 01-10-2024

बिमला देवी पुत्री श्री प्रेम चन्द, गांव चिलथंग, डा0 सिस्सू, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पीति।
प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

बिमला देवी पुत्री श्री प्रेम चन्द, गांव चिलथंग, डा0 सिस्सू, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0 प्र0) ने एक आवेदन शपथ-पत्र सहित (बराये जन्म तिथि इन्द्राज) इस अदालत में जिला पंजीयन (जन्म व मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला लाहौल स्पीति, स्थान केलंग के पत्र संख्या HFW-LSP/ST (B&D) 2024/-2390-91 DATED 19-09-2024 के माध्यम से मिसल इस कार्यालय को दिनांक 01-10-2024 को प्राप्त हुआ है। मिसल में संलग्न शपथ पत्र में प्रार्थिया बिमला ने उल्लेख किया है कि मेरा जन्म गांव चिलथंग, डा0 सिस्सू, तहसील लाहौल में दिनांक 05-09-1979 को हुआ है और यही मेरी असल जन्म तिथि है। मेरे पास मेरे जन्म से जुड़ा कोई भी दस्तावेज नहीं है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि किसी को प्रार्थिया बिमला पुत्री श्री प्रेम चन्द, गांव चिलथंग, डा0 सिस्सू की जन्म तिथि 05-09-1979 ग्राम पंचायत सिस्सू, तहसील लाहौल स्पीति के जन्म रजिस्टर में दर्ज करने में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 01-11-2024 तक असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा मुताबिक रिपोर्ट पंजीयन जन्म एवं मृत्यु एवं जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला लाहौल स्पीति के कार्यालय से प्राप्त दस्तावेजों व संलग्न शपथपत्रों के आधार पर प्रार्थिया बिमला पुत्री प्रेम चन्द, गांव चिलथंग, डा0 सिस्सू की जन्म तिथि 05-09-1979 को ग्राम पंचायत सिस्सू, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पीति में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 01-10-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लाहौल,
जिला लाहौल एवं स्पीति, हिमाचल प्रदेश।

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi (H. P.)**

In the matter of :

1. Sh. Vishal Kumar s/o Sh. Vijay Kumar, r/o RZG-11/B, Raj Nagar Part-2, Palam Colony, Bagdola, P.O. Raj Nagar-II, Distt. South West Delhi-110 077.

2. Smt. Shreya Pruthi d/o Late Sh. Vimal Pruthi, H. No. 108/6, Lower Samkhetar, Mandi Town, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.)
..Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Vishal Kumar s/o Sh. Vijay Kumar, r/o RZG-11/B, Raj Nagar Part-2, Palam Colony, Bagdola, P.O. Raj Nagar-II, Distt. South West Delhi-110 077 & Smt. Shreya Pruthi d/o Late Sh. Vimal Pruthi, H. No. 108/6, Lower Samkhetar, Mandi Town, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) [at present w/o Sh. Vishal Kumar s/o Sh. Vijay Kumar, r/o RZG-11/B, Raj Nagar Part-2, Palam Colony, Bagdola, P.O. Raj Nagar-II, Distt. South West Delhi-110 077] have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 21-07-2024 according to Hindu rites and customs at Country Inn & Suites by Radisson, Zirakpur, Punjab and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 02-11-2024 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 3rd day of October, 2024 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).*

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, माजरा, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 35 / XIII of 2024

दिनांक : 24-09-2024

इश्तहार

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सहीरा बेगम पुत्री श्री दीनमुहम्मद पुत्र शरीफ मुस्ताक, निवासी ग्राम पल्होड़ी, डा0 दारपुर, उप-तहसील माजरा, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में Case No. 35/ XIII of 2024 (Case titled as Sahira Begum Vs. General Public) मौजा मेलियों के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरुस्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश किया है। जमाबन्दी वर्ष 2020-21 मौजा मेलियों में प्रार्थिया का नाम शरीरा बानो पुत्री दीनमुहम्मद पुत्र शरीफ मुस्ताक कागजातमाल दर्ज है। प्रार्थिया राजस्व रिकार्ड में अपना नाम शरीरा बानो उर्फ सहीरा बेगम पुत्री दीनमुहम्मद पुत्र शरीफ मुस्ताक दर्ज करवाना चाहती है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त दुरुस्ती से कोई एतराज हो तो वह दिनांक 05-11-2024 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में हाजिर आकर अपनी लिखित व मौखिक आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
माजरा, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, माजरा, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 34 / XIII of 2024

दिनांक : 24-09-2024

इशतहार

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री युनीस अली पुत्र श्री शादी खां पुत्र नूरदीन, निवासी मौजा माजरा, उप-तहसील माजरा ने इस कार्यालय में Case No. 34/ XIII of 2024 (Case titled as Yunus Ali Vs. General Public) मौजा माजरा के राजस्व रिकार्ड में अपनी जाति दुरुस्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश किया है। मौजा माजरा के शजरा नसब में प्रार्थी की जाति मुसलमान उपजाति अन्य दर्ज है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपनी जाति मुसलमान उपजाति जुलाहा दर्ज करवाना चाहता है। अतः इस इशतहार के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त दुरुस्ती से कोई एतराज हो तो वह दिनांक 05-11-2024 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में हाजिर आकर अपनी लिखित व मौखिक आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
माजरा, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री मन मोहन जिष्टू, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर,
हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री वीकू पुत्र श्री अतर सिंह, गांव डिम्टी, डा0 बेला, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री वीकू पुत्र श्री अतर सिंह, गांव डिम्टी, डा0 बेला, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन जिला सिरमौर के अनुमोदन सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी अपना नाम व जन्म तिथि 02-03-1995 को ग्राम पंचायत बेला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। जिसका रिकॉर्ड ग्राम पंचायत बेला में दर्ज नहीं हुआ है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि 02-03-1995 को ग्राम पंचायत बेला, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 06-11-2024 को सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि 06-11-2024 को ग्राम पंचायत बेला, विकास खण्ड शिलाई के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 24-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री मन मोहन जिष्टू, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर,
हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्रीमती मस्तो देवी पत्नी श्री बाबु राम, गांव दाया, डा0 शिलाई, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर
(हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती मस्तो देवी पत्नी श्री बाबु राम, गांव दाया, डा0 शिलाई, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर
(हि0प्र0) का आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन जिला सिरमौर के
अनुमोदन सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया अपनी बेटी दिक्षा का नाम व जन्म तिथि
11-11-2011 को ग्राम पंचायत कुंहट के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है।
जिसका रिकॉर्ड ग्राम पंचायत कुंहट में दर्ज नहीं हुआ है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया की बेटी दिक्षा का
नाम व जन्म तिथि 11-11-2011 को ग्राम पंचायत कुंहट, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में
दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में
दिनांक 06-11-2024 को सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की
सूरत में प्रार्थिया की बेटी दिक्षा का नाम व जन्म तिथि 11-11-2011 को ग्राम पंचायत कुंहट, विकास खण्ड
शिलाई के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को
पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 24-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री मन मोहन जिष्टू, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर,
हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्रीमती उमा देवी पत्नी श्री कुलदीप सिंह, गांव देमाणा, डा0 गवाही, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर
(हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती उमा देवी पत्नी श्री कुलदीप सिंह, गांव देमाणा, डा0 गवाही, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर
(हि0प्र0) का आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन जिला सिरमौर के

अनुमोदन सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया अपनी बेटी पुष्पांजली का नाम व जन्म तिथि 25-07-2006 को ग्राम पंचायत मानल के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है। जिसका रिकॉर्ड ग्राम पंचायत मानल में दर्ज नहीं हुआ है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया की बेटी पुष्पांजली का नाम व जन्म तिथि 25-07-2006 को ग्राम पंचायत मानल, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 06-11-2024 को सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की बेटी पुष्पांजली का नाम व जन्म तिथि 25-07-2006 को ग्राम पंचायत मानल, विकास खण्ड शिलाई के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 24-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री मन मोहन जिष्टू, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शिलाई, जिला सिरमौर,
हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री सुनील पुत्र श्री कली राम, निवासी गांव दिगवा, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.—मौजा बिन्दला दिगवा के राजस्व अभिलेख में नाम की दुरुस्ती बारे।

श्री सुनील पुत्र श्री कली राम, निवासी गांव दिगवा, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थी मौजा बिन्दला दिगवा के राजस्व अभिलेख में अपना नाम सोनू पुत्र कली राम पुत्र भूप सिंह के स्थान पर सुनील पुत्र कली राम पुत्र भूप सिंह दर्ज करवाना चाहता है। क्षेत्रीय कर्मचारी की छानबीन, ब्यान प्रार्थी के भाई व ब्यान वाशिन्दगानदेह के पाया गया कि सोनू पुत्र कली राम पुत्र भूप सिंह व सुनील पुत्र कली राम पुत्र भूप सिंह एक ही व्यक्ति के नाम हैं जिसका नाम राजस्व अभिलेख के अतिरिक्त पंचायत रिकार्ड व आधार कार्ड सहित अन्य सभी रिकार्ड में सुनील पुत्र कली राम दर्ज है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि मौजा बिन्दला दिगवा के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम सोनू पुत्र कली राम पुत्र भूप सिंह के स्थान पर सुनील पुत्र कली राम पुत्र भूप सिंह दर्ज करने बारे अगर किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 06-11-2024 को सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में मौजा बिन्दला दिगवा, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के राजस्व अभिलेख में सोनू पुत्र कली राम पुत्र भूप सिंह के स्थान पर सुनील पुत्र कली राम पुत्र भूप सिंह दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित क्षेत्रीय कर्मचारी को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 24-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

Office of the Sub-Divisional Magistrate Arki, District Solan (H.P.)

Case No.: 37/2024

Date of Instt.: 08-10-2024

Date of Decision: 07-11-2024

Smt. Soma Devi w/o Sh. Geeta Ram, r/o Village & P.O. Batal, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) ..Applicant.

Versus

General Public

..Respondent.

Regarding delayed registration of death event under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969.

Smt. Soma Devi w/o Sh. Geeta Ram, r/o Village & P.O. Batal, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) has filed a case under section 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that her father-in-law Late Sh. Sant Ram s/o Sh. Laturiya was expired on 25-01-1980 at Village Batal, P.O. Batal, but his death has not been entered in the records of Gram Panchayat Deora, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) as per the Non-availability Certificate No.- 10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration, G.P. Deora, Tehsil Arki.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having objection for registration of delayed death in respect of Late Sh. Sant Ram may submit their objections in writing to this office on or before 07-11-2024 at 10:00 AM, failing which, no objection will be entertained afterwards.

Given under my hand and seal of this office on this 8th day of October, 2024.

Seal.

Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Arki, Distt. Solan (H.P.)

**In the Court of Dr. Poonam, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)**

Notice under section 6 of Special Marriage Act.

Whereas, Mr. Mukul Jha s/o Mr. Bharat Narayan Jha, r/o Flat No. 309, 3rd Floor, Mangalayatan Jain Mandir Road Kota, District Kota, Rajasthan and Ms. Reetika Sood d/o

Mr. Vinod Sood r/o V.P.O. Shamti, Tehsil and Distt. Solan (H.P.) have gave notice of intended marriage u/s 5 of the Special Marriage Act, 1954 to this office.

And whereas both these applicants have submitted in their application and in their affidavits that Mr. Mukul Jha & Ms. Reetika Sood were unmarried and major in age. Both the applicants have requested for solemnization of their marriage.

Notices are given to all concerned and general public to this effect that if anybody has got any objection regarding the registration of marriage between the above said Mr. Mukul Jha s/o Mr. Bharat Narayan Jha, r/o Flat No. 309, 3rd Floor, Mangalayatan Jain Mandir Road Kota, District Kota, Rajasthan and Ms. Reetika Sood d/o Mr. Vinod Sood r/o V.P.O. Shamti, Tehsil and Distt. Solan (H.P.) they should file their written objections and should appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issuance of this notice. After expiry of the said period, the aforesaid marriage will be solemnized accordingly and marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heard & accepted.

Issued under my hand and seal of this court on this 16th day of October, 2024.

Seal.

DR. POONAM, HPAS,
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Solan, District Solan (H. P.).

**In the Court of Sh. Multan Singh Banyal, Executive Magistrate (Tehsildar),
Solan, District Solan (H.P.)**

In the matter of:

Smt. Bimla Devi w/o Late Sh. Harnam Singh, r/o Village Sihanvari P.O. Pratha, Tehsil & Distt. Solan (H.P.).
..Applicant.

Versus

General Public

..Respondent.

Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003.

Whereas, Smt. Bimla Devi w/o Late Sh. Harnam Singh, r/o Village Sihanvari P.O. Pratha, Tehsil & Distt. Solan (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering of date of birth of her son namely Preetam Kumar s/o Late Sh. Harnam Singh and Smt. Bimla Devi whose date of birth is 01-03-2009 and his place of birth is at Village Sihanvari P.O. Pratha, Tehsil & Distt. Solan but his date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Neri Kalan, Tehsil & Distt. Solan (H.P.).

Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Preetam Kumar s/o Late Sh.

Harnam Singh and Smt. Bimla Devi may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 10-11-2024 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 10th day of October, 2024.

Seal.

Sd/-
(MULTAN SINGH BANYAL),
Executive Magistrate (Tehsildar),
Solan, District Solan (H.P.).

**In the Court of Sh. Multan Singh Banyal, Executive Magistrate (Tehsildar),
Solan, District Solan (H.P.)**

In the matter of:

Smt. Nirmla Devi d/o Sh. Mansa Ram & Smt. Kala Devi w/o Sh. Man Singh, r/o Village Kather, Near Police Line, Kather, P.O. Chambaghat, Tehsil and Distt. Solan (H.P.).

..Applicant.

Versus

General Public

..Respondent.

Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003.

Whereas, Smt. Nirmla Devi d/o Sh. Mansa Ram & Smt. Kala Devi w/o Sh. Man Singh, r/o Village Kather, Near Police Line, Kather, P.O. Chambaghat, Tehsil and Distt. Solan has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering of her date of birth *i.e.* 04-05-1972 and her place of birth is at Village Patti, P.O. Basal, Tehsil and Distt. Solan (H.P.), but her date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Dangri Solan, Tehsil & Distt. Solan (H.P.).

Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Smt. Nirmla Devi d/o Sh. Mansa Ram & Smt. Kala Devi may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 08-11-2024 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 8th day of October, 2024.

Seal.

Sd/-
(MULTAN SINGH BANYAL),
Executive Magistrate (Tehsildar),
Solan, District Solan (H.P.).

**In the Court of Sh. Jagpal Singh, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli,
District Solan, Himachal Pradesh**

Case No.
26/2024

Date of Institution
03-10-2024

Date of Decision
04-11-2024

Smt. Champa Devi d/o Shri Jagat Ram and w/o Sh. Deep Kumar, r/o Village Kot, P.O. Kotbeja, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh ..Applicant.

Versus

General Public

..Respondent.

Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Champa Devi d/o Shri Jagat Ram and w/o Sh. Deep Kumar, r/o Village Kot, P.O. Kotbeja, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has filed an application under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that she was born on 15-02-1991 at Village Chentho, P.O. Pratha, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but her date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Pratha, Tehsil Kasauli within stipulated period. Hence she prayed for passing necessary orders to the Secretary, Birth & Death, Gram Panchayat Pratha, Tehsil Kasauli for entering the same in the Birth & Death records.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having objection for the registration of delayed date of birth of Smt. Champa Devi d/o Sh. Jagat Ram & w/o Sh. Deep Kumar may submit their objections in writing in this court on or before 04-11-2024 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 3rd day of October, 2024.

Seal.

Sd/-
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan (H. P.).

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 अक्टूबर, 2024

संख्या : पी0डब्ल्यू0डी0-एफ0(5)/2/2024(ई-239529).—प्रवर्तक नामतः मैसर्स रोपवे एवं रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हिमाचल प्रदेश लिमिटेड, यू. एस. क्लब, शिमला-171001, एक राज्य सरकार का उपक्रम, ने राष्ट्रीय राजमार्ग-21

से माता बगलामुखी मंदिर (पंडोह बांध के नजदीक), जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश तक एक आकाशी यात्री रज्जु मार्ग विकसित किया है;

और, प्रवर्तक ने हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग अधिनियम, 1968 (1969 का राज्य अधिनियम संख्याक 7) की धारा 27 के अधीन प्रारूप उप विधियां बनाई हैं और उन्हें जन साधारण से प्रकाशन की तारीख से बीस दिनों के भीतर आक्षेप, सुझाव/टीका टिप्पणी, यदि कोई हो; करने के लिए तारीख 5 सितंबर, 2024 को दो दैनिक समाचार पत्रों नामतः "दिव्य हिमाचल" और "द ट्रिब्यून" में प्रकाशित किया था, और प्रवर्तक द्वारा सूचित किया गया है कि उपरोक्त निहित अवधि के भीतर कोई आक्षेप/ सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

और निरीक्षक आकाशी रज्जुमार्ग कुल्लू ने हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग नियम, 1972 के नियम 12 की अपेक्षा के अनुसार उपरोक्त प्रारूप उप-विधियों की संवीक्षा की है और उन्हें राज्य सरकार की पुष्टि के अनुमोदन और राजपत्र में प्रकाशन हेतु अग्रेषित किया है;

अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रवर्तक द्वारा तैयार की गई तथा इस अधिसूचना के उपाबन्ध "क" में संलग्न उप-विधियों की पुष्टि करते हैं।

आदेशानुसार

हस्ताक्षरित /—

सचिव (लोक निर्माण)।

उपाबन्ध "क"

उप-विधियां माता बगलामुखी रज्जु मार्ग पंडोह

1. केबिन की गति अधिकतम 6 मीटर प्रति सेकंड होगी।
2. इस रज्जु मार्ग पर यात्रा करते समय यात्रियों को भारतीय शस्त्र एवं गोला-बारूद अधिनियम, 1959, अल्कोहल/मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं तथा रज्जु मार्ग के लिए (अनुलग्नक-I) के रूप में संलग्न प्रतिबंधित वस्तुओं की अनुसूची में सूचीबद्ध वस्तुओं को ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

3. प्रत्येक केबिन में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या 15+1 होगी, जिसमें कोई भी पालतू जानवर शामिल होगा, तथा अधिकतम वजन 1200 किलोग्राम तक सीमित होगा।

4. इस प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली शक्ति बैकअप के लिए विद्युत शक्ति / डीजल जनरेटर (डीजी) है।

5. रज्जु मार्ग को कंपनी के निर्णय के अनुसार दिन के 24 घंटों में किसी भी समय और घंटे के दौरान चालू किया जा सकता है। यात्रियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे कंपनी के ग्राउंड स्टाफ/मार्शल के अनुरोध और घोषणाओं के अनुसार शीर्ष स्टेशन से बेस स्टेशन पर लौटने के लिए केबिन में चढ़ें, ऐसा न करने पर यात्रियों को बेस स्टेशन पर वापस लाना कंपनी की जिम्मेदारी/दायित्व नहीं होगा।

6. इस रज्जु मार्ग पर यात्रा के दौरान यात्रियों को शराब पीने, खाने और धूमपान करने की अनुमति नहीं होगी।

7. कंपनी के निर्णय के अनुसार टैरिफ में किसी भी समय परिवर्तन किया जा सकता है, जहां उसके किसी भी उत्पाद पर गतिशील किराया व्यवस्था लागू की जा सकती है।

8. सुरक्षा उद्देश्यों के लिए यात्रियों को गोंडोला में चढ़ने, उतरने और सवारी करने के लिए ग्राउंड स्टाफ के निर्देशों का पालन करना होगा। यात्रियों को प्रतिबंधित/प्रवेश निषेध क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और सुरक्षा नियमों का कोई भी उल्लंघन उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी, और उस पर हिमाचल प्रदेश रज्जु मार्ग अधिनियम की धारा 34, 35, 36 और 37 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।

9. दुर्घटना की स्थिति में, कंपनी बीमा कंपनी के माध्यम से निम्नानुसार मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार होगी :-

I	12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए	₹.1,00,000
II	12 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति	₹. 5,00,000

यदि कम्पनी के ग्राउंड स्टाफ को इस रज्जु मार्ग पर यात्रा कर रहे किसी यात्री पर संदेह होता है कि वे कुछ ऐसा सामान ले जा रहे हैं जो इस अधिसूचना की शर्त संख्या 2 के अनुसार प्रतिबंधित है, तो कम्पनी के ग्राउंड स्टाफ को यात्री के सामान की तलाशी लेने का अधिकार होगा और यात्री इस पर कोई आपत्ति नहीं करेगा।

10. एक बार बिक जाने के बाद टिकट वापस नहीं किए जाएंगे तथा धन वापसी केवल तभी की जाएगी जब कंपनी के नियंत्रण से बाहर किसी कारण से रज्जु मार्ग चालू न हो।

11. टिकट खरीद के समय निर्दिष्ट अवधि के लिए वैध होगा।

12. रज्जु मार्ग क्षेत्र और रज्जु मार्ग में प्रवेश का अधिकार कंपनी के पूर्ण विवेक पर होगा और कंपनी बिना कोई कारण बताए किसी भी व्यक्ति/समूह को टिकट बेचने से मना कर सकती है।

13. किसी भी यात्री को रज्जु मार्ग पर दवाइयों और शिशु आहार के अलावा कोई भी खाद्य सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

14. यह कंपनी का विशेषाधिकार होगा कि वह किसी सुरक्षा/संरक्षा कारणों से किसी यात्री को शीर्ष टर्मिनल पर उतरने की अनुमति दे या न दे तथा केबिन के दरवाजे न खोलने का आदेश दिया जा सकता है, ताकि यात्री को सुरक्षित रूप से बेस स्टेशन पर वापस लाया जा सके।

15. सुरक्षा कर्मचारी, पूर्व-आरोहण जांच के दौरान यात्रियों और उनके सामान से आपत्तिजनक वस्तुओं को निकाल सकते हैं तथा उन्हें सीलबंद बैग में रख सकते हैं, जिन्हें यात्रियों को उनके बेस स्टेशन पर लौटने पर वापस कर दिया जाएगा, तथापि आपत्तिजनक वस्तुओं को हटाए जाने के संबंध में कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

16. यात्री को अपनी यात्रा पूरी करने के बाद बेस स्टेशन पर वापस लौटने तक प्रवेश स्टब्स/टिकट की प्रति अपने पास रखनी होगी तथा यात्री को कंपनी के किसी भी कर्मचारी को मांगने पर ऐसी टिकटें/प्रवेश स्टब्स दिखाने की आवश्यकता होगी; यदि यात्री मांगने पर ऐसी टिकटें/प्रवेश स्टब्स नहीं दिखा पाता है तो उसे गोंडोला में चढ़ने से रोका जा सकता है तथा उससे टिकटों की पूरी कीमत चुकाने के लिए कहा जा सकता है।

17. केबिन में निम्नलिखित के अलावा कोई भी सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी:

- (i) उचित आकार का महिलाओं का पर्स
- (ii) एक ओवर कोट
- (iii) एक छाता / छड़ी
- (iv) पठन सामग्री
- (v) कैमरा/ दूरबीन
- (vi) शिशु आहार और व्हीलचेयर सहित चिकित्सा संबंधी आवश्यक वस्तुएं, तथा कंपनी ऊपर बताए गए सामान के अलावा ले जाए जाने वाले सामान के आकार और वजन के आधार पर शुल्क ले सकती है।

18. कंपनी बिना कोई कारण बताए रज्जु मार्ग को चालू या चालू रखने का अधिकार सुरक्षित रखती है, जिससे यात्रियों या किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी आधार पर नुकसान

या अन्य प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती। कंपनी किसी ऐसे व्यक्ति को ले जाने से मना करने का भी अधिकार सुरक्षित रखती है जिसे वह यात्रा के लिए अयोग्य समझती है या जो कंपनी की राय में रज्जु मार्ग या उसमें सवार लोगों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है।

19. यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि बुक किए गए सामान या यात्रियों आदि से युक्त केबिन में क्षमता से अधिक सामान भरा हुआ है, तो कंपनी को यह निर्णय लेने का अधिकार होगा कि किस यात्री या सामान को उतारा जाए और ऐसा निर्णय बाध्यकारी होगा।

20. कंपनी यात्रियों के सामान को हुई किसी भी हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं है।

21. कंपनी अतिथि और सामान को उचित समय पर ले जाने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करने का वचन देती है। कंपनी के नियंत्रण से परे कारणों से यात्रियों को शीर्ष स्टेशन से बेस स्टेशन तक वापस लाने में देरी के लिए कंपनी कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है।

22. कंपनी गॉडोला में चढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में शारीरिक तलाशी लेगी, जिसमें सुरक्षा कर्मचारी या तो एच0एच0एम0डी0 द्वारा या हाथ से शारीरिक तलाशी लेंगे और यात्रियों को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। शारीरिक तलाशी लेते समय निम्न बातों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

- (क) हाथ में रेनकोट या जैकेट, यदि कोई हो तो।
- (ख) रोलड समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें आदि।
- (ग) टोपी, टोपी का अस्तर, बालों की दृश्य जांच।
- (घ) जैकेट के अंदर का कॉलर और लैपल्स।
- (ङ) जैकेट/सूट में कंधों पर पैडिंग।
- (च) बगल, जैकेट की आस्तीन और हाथों की हथेलियाँ। कलाई घड़ियों की यादृच्छिक जाँच।
- (छ) जैकेट के अंदर की सभी जेबें।
- (ज) छाती/छाती, टाई और शर्ट की जेब, यदि कोई हो।
- (झ) पीठ के नीचे रीढ़ की हड्डी, कंधे की हड्डियों पर जोर।

- (अ) कमर, छाती और बेल्ट की पूरी परिधि तथा बकल यदि पहना हो तो।
- (ट) पतलून की जेब का निचला हिस्सा टक।
- (ठ) जांघ के अंदरूनी भाग के ऊपर से लेकर टखनों तक प्रत्येक पैर के चारों ओर हाथ से जाँच।
- (ड) मोजे और टर्न-अप की जाँच।
- (ढ) स्की और संबद्ध उपकरण, साहसिक उपकरण, पैराग्लाइडर, कंपनी द्वारा अनुमत कोई अन्य सामान।
- (ण) जूते और ऊँचे बूट, मेटल डिटेक्टर का संभावित उपयोग।

23. व्यवधानकारी, आक्रामक, नशे में धुत यात्री/व्यक्ति तथा आपराधिक इरादे वाले यात्री/व्यक्ति से निपटने के लिए कंपनी की नीति निम्नानुसार होगी:

(क) रज्जु मार्ग पर विघटनकारी यात्री

ऐसी आकस्मिकताएँ हो सकती हैं जहाँ कंपनी के कर्मचारियों को निचले टर्मिनल और ऊपरी टर्मिनल दोनों पर उपद्रवी यात्रियों से निपटना पड़े। कंपनी की नीति सभी कर्मचारियों, मेहमानों और ग्राहकों को स्टेशनों और उड़ान में उपद्रवी और शराबी यात्रियों से और अपराध के प्रभाव से बचाना है। कंपनी उपद्रवी और शराबी यात्रियों से निपटने के लिए सख्त कार्रवाई कर सकती है और उनसे किसी भी तरह की धमकी, गाली-गलौज या हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकती। रज्जु मार्ग अधिनियम की धारा 37 के प्रावधान के तहत उचित तरीके से काम करने वाले कंपनी के कर्मचारियों को पुलिस को रिपोर्ट करनी होगी और ऐसे किसी भी व्यक्ति को आपराधिक अपराधों के लिए पुलिस के पास हिरासत में लेना होगा। घटना का विवरण (अनुलग्नक-II) के रूप में संलग्न है। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा फॉर्म भरा जाएगा और हिरासत में लिए गए यात्री(यात्रियों) के साथ पुलिस को सौंप दिया जाएगा।

(ख) आक्रामक यात्री

जब कोई यात्री आक्रामक हो तो सबसे पहली प्राथमिकता खुद की और दूसरों की सुरक्षा होगी। कर्मचारी यात्री को शांत करने या अन्य तरीकों से स्थिति को शांत

करने का प्रयास करेंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो मामले को अधिनियम की धारा 36 के प्रावधान के तहत निपटाया जा सकता है।

(ग) नशे में धुत यात्री

नशे में धुत यात्रियों को तुरंत टर्मिनल भवन छोड़ने के लिए कहा जाएगा तथा जब तक उनका नशा उतर न जाए, उन्हें वापस आने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उन्हें गोंडोला में चढ़ने से मना कर दिया जाएगा, क्योंकि वे स्वयं तथा अन्य यात्रियों के लिए सुरक्षा खतरा उत्पन्न कर सकते हैं।

(घ) हमले

कंपनी रज्जु मार्ग परिसर में या उसके बाहर यात्री(यों) या उसके स्टाफ के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह का शारीरिक हमला या धमकी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर हमला किया जाता है तो तुरंत पुलिस को बुलाया जाएगा और अधिनियम की धारा 36 और धारा 37 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। कंपनी के स्टाफ द्वारा संलग्न घटना विवरण सूची भरकर हिरासत में लिए गए व्यक्ति(यों) के साथ पुलिस को सौंप दी जाएगी।

(ङ) आपराधिक क्षति

यदि कोई व्यक्ति या यात्री रज्जु मार्ग संपत्ति को पूर्णतः या आंशिक रूप से आपराधिक क्षति सहित कोई क्षति पहुंचाता है तो उसे क्षतिपूर्ति करनी होगी, उसके द्वारा की गई क्षति की पूरी राशि देनी होगी तथा कंपनी ऐसे व्यक्ति को उक्त अधिनियम की धारा 37 के प्रावधान के तहत हिरासत में ले सकती है तथा उसे पुलिस को सौंप सकती है तथा संबंधित कानून के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी।

24. कंपनी केबिन या रज्जु मार्ग परिसर में यात्रियों द्वारा छोड़े गए सामान के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। हालांकि, किसी भी बचे हुए सामान को मिलने पर कंपनी के कर्मचारी उसे कंपनी के परिसर में खोया-पाया क्षेत्र में किसी भी दावे के लिए 45 दिनों की अवधि तक सुरक्षित रखेंगे, जिसके बाद कंपनी द्वारा उसका उचित तरीके से निपटान किया जाएगा या उसकी नीलामी की जाएगी।

25. रज्जु मार्ग का दिन-प्रतिदिन सुचारु और सुरक्षित संचालन परिचालन और इंजीनियरिंग स्टाफ की जिम्मेदारी है, जिन्हें कंपनी द्वारा सावधानीपूर्वक नियुक्त किया गया है और जहां कंपनी ने रज्जु मार्ग संचालन की आवश्यकता के लिए ऐसे कर्मचारियों के प्रशिक्षण और प्रशिक्षण में निवेश किया है, किसी भी कर्मचारी की ओर से सुरक्षा नियमों का उल्लंघन उस कर्मचारी की एकमात्र जिम्मेदारी होगी।

26. यदि स्टाफ का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह तकनीकी हो या गैर-तकनीकी, किसी ऐसे कार्य में शामिल पाया जाता है, जो रज्जु मार्ग या कंपनी की संपत्ति को खतरे में डाल सकता है या स्वयं सहित किसी व्यक्ति, यात्री(यों) की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ लिप्त पाया जाता है, जिससे कंपनी की परिचालन पद्धतियों और अन्य गोपनीय जानकारी का खुलासा हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को कंपनी के विवेक पर हिरासत में लिया जा सकता है और संबंधित कानून/अधिनियम के तहत अदालत में आगे की सुनवाई के लिए पुलिस को सौंपा जा सकता है, और कर्मचारी/स्टाफ को उसके पद से हटा दिया जाएगा और वह कंपनी का कर्मचारी नहीं रह सकता है, जहां पूरी जिम्मेदारी ऐसे स्टाफ की होगी। इसके अलावा, यदि उचित समझा जाए तो कंपनी ऐसे स्टाफ के खिलाफ उसकी लापरवाही के लिए कानूनी सहारा ले सकती है और उस पर तोड़फोड़ और विश्वासघात के इरादे से आरोप लगाया जा सकता है।

27. कंपनी बोर्ड के प्रस्ताव के माध्यम से अपने किसी भी कर्मचारी को नियुक्त और सशक्त कर सकती है, जो दिन-प्रतिदिन के संचालन, यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा और रज्जु मार्ग इंस्पेक्टर या सरकार के किसी प्रतिनिधि सहित किसी भी विभाग के साथ काम करने के लिए अधिकृत होगा, जहां यात्रियों और कर्मचारियों के दैनिक संचालन, सुरक्षा और संरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ऐसे कर्मचारी या कर्मचारियों के पास होगी।

28. यदि कोई यात्री, व्यक्ति या शख्स किसी ऐसे क्षेत्र में पाया जाता है जो ऐसे व्यक्ति के लिए सीमा से बाहर है या किसी ऐसी गतिविधि में शामिल पाया जाता है या इसमें शामिल होने का संदेह है जो रज्जु मार्ग के संचालन या कंपनी की संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है या जोखिम में डाल सकता है, जिससे किसी व्यक्ति या कर्मचारी को नुकसान हो सकता है, जिसमें रज्जु मार्ग उपकरण की चोरी में शामिल होना भी शामिल है, तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है और पुलिस को सौंपा जा सकता है या ऐसे किसी व्यक्ति की जानकारी

संबंधित कानून/अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई के लिए पुलिस को भेजी जा सकती है और उसके खिलाफ आपराधिक इरादे की कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

29. यात्री/कर्मचारी इस रज्जु मार्ग के उपनियमों तथा हिमाचल प्रदेश रज्जु मार्ग अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

30. उपधारा-ई अध्याय IX के अंतर्गत माता बगलामुखी रज्जु मार्ग के संचालन और रखरखाव के लिए तैनात किए जाने वाले कर्मचारी निम्नानुसार होंगे:

तकनीकी (संचालन एवं रखरखाव)	कर्मचारियों की संख्या	योग्यता	अनुभव
रेजिडेंट मैनेजर-सह स्टेशन प्रभारी	1	डिप्लोमा और उससे ऊपर	न्यूनतम 5 वर्ष
ऑपरेटर	4	डिप्लोमा और उससे ऊपर	न्यूनतम 3 वर्ष
यांत्रिक फिटर	1	आईटीआई और उससे ऊपर	न्यूनतम 2 वर्ष
इलेक्ट्रीशियन	1	आईटीआई और उससे ऊपर	न्यूनतम 2 वर्ष
सहायकों	1	आईटीआई और उससे ऊपर	न्यूनतम 1 वर्ष
प्रशासनिक जनशक्ति			
ग्राहक सेवा कार्यकारी	2	स्नातक और उससे ऊपर	न्यूनतम 1 वर्ष
प्रवेशकर्ता	2	10वीं और उससे ऊपर	—

कंपनी द्वारा कर्मचारियों को शैक्षणिक और नैतिक प्रोफाइल के चयन और सत्यापन के बाद नियोजित किया जाएगा, ऐसे चयनित कर्मियों को तकनीकी विभाग के मामले में एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि और गैर-तकनीकी विभागों के लिए छह महीने के लिए नियोजित किया जाएगा और उनकी परिवीक्षा या प्रशिक्षण अवधि पूरी होने के बाद उन्हें कंपनी के स्थायी कर्मचारी माना जाएगा।

31. धारा 27 की उपधारा 2 के अंतर्गत उपनियम निम्नानुसार होंगे:

- (क) कोई भी व्यक्ति जो उपनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे 5000/- रुपये से अधिक का जुर्माना देना होगा।
- (ख) यदि प्रमोटर के कर्मचारी द्वारा उपनियमों का उल्लंघन किया जाता है तो कंपनी उस कृत्य के लिए जिम्मेदार कर्मचारी के एक माह के वेतन से अधिक की राशि जब्त कर लेगी तथा कंपनी उपनियमों के प्रावधानों के तहत उपयुक्त कार्रवाई कर सकती है।

अनुलग्नक-“क”

अनुसूची

माता बगलामुखी रोपवे के लिए निषिद्ध वस्तुएँ -

क्रमांक संख्या	वस्तुओं का नाम
1.	सीलबंद डिब्बे
2.	चाकू
3.	कैंची
4.	नेल कटर
5.	गैस लाइट
6.	रेजर ब्लेड
7.	डार्ट
8.	खेल के बल्ले
9.	व्यापारी उपकरण
10.	स्टेपलर
11.	सिरिज
12.	गुलेल
13.	घरेलू कटलरी
14.	अचार और मसाले
15.	किसी भी प्रकार का पाउडर
16.	पेलेट गन
17.	पेपर स्प्रे
18.	पिस्तौल
19.	प्लास्टिक विस्फोटक

20.	पूलक्यूस
21.	पोर्टेबल पावरड्रिल
22.	पोर्टेबल पावरसा/हैक्सा
23.	रिवाल्वर
24.	राइफल
25.	रोडफलेयर
26.	स्कूबा चाकू
27.	सेबर्स
28.	स्कू ड्राइवर
29.	शॉट गन
30.	स्पीयरगन
31.	स्टार्टर पिस्टल
32.	स्ट्रेट रेजर
33.	स्टन गन शॉकिंग डिवाइस
34.	तलवार
35.	आंसु गैस
36.	थ्रोइंग स्टार्स
37.	टॉय ट्रांसफॉर्मर रोबोट्स
38.	खिलौने हथियार
39.	अग्निशमक यंत्र
40.	फलेयर पिस्टल
41.	गन लाइटर
42.	गन पाउडर
43.	हथौड़ा
44.	हैंड ग्रेनेड
45.	हैचिज/कुल्हाड़ियाँ
46.	हॉकी स्टिक
47.	शिकार चाकू
48.	आइस एक्स/आइस पिक
49.	चाकू (किसी भी लंबाई के)
50.	कुबाटन
51.	भारी उपकरण
52.	गदा
53.	मार्शल आर्ट डिवाइस

54.	धातु कैंची
55.	कुल्हाड़ी
56.	बेसबॉल बैट
57.	बी0बी0गन
58.	बिली क्लब
59.	ब्लैक जैक
60.	ब्लास्टिंग कैप
61.	धनुष और तीर
62.	बॉक्स कटर
63.	पीतल की पोर
64.	बुल व्हिप
65.	मवेशी उत्पाद
66.	संपीडित आर्टगन
67.	कार्कस्कूज
68.	क्राउबार
69.	अक्षम करने वाले रसायन
70.	डायनामाइट
71.	मिर्ची पाउडर
72.	रेडियोधर्मी पदार्थ
73.	सिगरेट, सिगार, धूमपान पाइप
74.	माचिस
75.	गुटका चबाने योग्य तम्बाकू

अनुलग्नक - 'ख'

घटना का विवरण

किसी भी यात्री द्वारा की गई किसी भी अनुचित घटना की स्थिति में रोपवे स्टाफ/सुरक्षा स्टाफ द्वारा भरा जाना है:-

1.	क्या यात्री एक आक्रामक यात्री था?	हाँ	नहीं
2.	क्या यात्री नशे में था?	हाँ	नहीं
3.	क्या यात्री धमकी देने वाला, गाली देने वाला और अपमानजनक यात्री था?	हाँ	नहीं
4.	क्या यात्री ने कोई नुकसान पहुँचाया है?	हाँ	नहीं
5.	क्या यात्री ने हिमाचल प्रदेश रोपवे अधिनियम की धारा 34, 35 के	हाँ	नहीं

	किसी नियम का उल्लंघन किया है?		
6.	क्या यात्री किसी अन्य अनियंत्रित व्यवहार में शामिल रहा है? (विवरण दें)	हाँ	नहीं
7.	क्या यात्री ने किसी कर्मचारी पर शारीरिक हमला किया?	हाँ	नहीं
8.	क्या यात्री ने कोई अभद्र भाषा का प्रयोग किया?	हाँ	नहीं
9.	क्या यात्री ने रोपवे की संपत्ति को कोई आपराधिक क्षति पहुंचाई?	हाँ	नहीं
10.	क्या यात्री ने किसी कर्मचारी के साथ हाथापाई की?	हाँ	नहीं
11.	क्या यात्री ने किसी कर्मचारी को धमकाया, हमला किया या गाली दी?	हाँ	नहीं
12.	क्या यात्री ने कर्मचारी की अवज्ञा की?	हाँ	नहीं
13.	क्या यात्री ने कोई अन्य अभद्र व्यवहार किया? (विवरण दें)	हाँ	नहीं
14.	क्या व्यक्ति का कोई आपराधिक इरादा या तोड़फोड़ करने का इरादा था?	हाँ	नहीं

नाम:

विभाग:

[Authoritative English text of this Department Notification No.PWD-C-F0(5)/2/2024 (E-239529) dated 30-10-2024 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India.]

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 30th October, 2024

No.PWD-C-F0(5)/2/2024 (E-239529).—WHEREAS, promoter, namely, M/S Ropeway and Rapid Transport System Development Corporation HP Limited, US Club, Shimla-171001, a State Government Undertaking, has developed an Aerial Passenger Ropeway from National Highway-21 to Mata Baglamukhi Temple (near Pandoh Dam), District Mandi, Himachal Pradesh;

AND WHEREAS, the promoter has framed draft bye-laws under section 27 of the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Act, 1968 (State Act No. 7 of 1969) and the same were published in two daily news papers namely, the “Divya Himachal” and “The Tribune” on 5th September, 2024, for inviting objections, suggestions/comments, if any of the general public within 20 days from the said date of publication and as intimated by the promoter, no objection/suggestion has been received within the above stipulated period;

AND WHEREAS, the Inspector of Aerial Ropeways, Kullu has scrutinized the above draft bye-laws as per the requirement of rule 12 of the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Rules, 1972 and forwarded the same to the State Government for the confirmation and publication in the Official Gazette;

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 27 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to confirm the bye-laws framed by the promoter and appended as Annexure "A" to this notification.

By order,

Secretary (PW).
Annexure "A"

Bye Laws of Mata Baglamukhi Ropeway Pandoh

1. The speed of the Cabins will be maximum of 6 meters per second.
2. Passengers will not be allowed to carry the items covered under the Indian Arms and Ammunition Act, 1959, Alcohols/Intoxicants Act, and the items listed in the schedule of prohibited items annexed as (Annexure -I) for the Ropeway while travelling on this Ropeway.
3. The maximum number of persons in each cabin will be 15+1 including any domestic pets where maximum weight is limited to 1200 Kg.
4. The power being used in this system is Electric power/Diesel Generator (DG) for backup.
5. The Ropeway can be operative during any time and hour in the 24 Hrs. period of the day as per the decision of the Company. The passengers shall ensure that they embark the cabin for their return from the top station to the base station as per the request and announcements of the ground staff / Marshals of the company failing which it shall not be the responsibility/liability of the company to bring the passengers back to the base station.
6. Passengers will not be allowed to drink, eat and smoke while travelling on this Ropeway.
7. The tariff can be subject to change at any time as per the decision of the company where a dynamic fare regime on any of its products may be imposed.
8. Passenger (s) will be bound to follow the directions of the Ground Staff for embarkation, disembarkation and riding in the Gondolas for safety purposes. Passengers will not be allowed to enter, restricted /no entry area, and any violation of the safety rules shall be the responsibility of the person, and he may be booked under section 34, 35, 36 and 37 of the Himachal Pradesh Ropeways Act.
9. In case of accident, the company will be responsible to pay the compensation as under, through the Insurance Company,

I For children below 12 Years

Rs. 1,00,000

II Any person Above 12 years

Rs. 5,00,000

If the Company ground staff has any doubt on any Passenger (s) travelling on this ropeway suspecting that they are carrying some goods which are restricted as per the condition No. 2 of this notification, the company's ground staff will be authorized to search the baggage's of the passenger and the passenger will not object for the same.

10. Tickets once sold will not be refundable and the refund will be granted only in case the ropeway is not operative for any reason beyond the control of the company.

11. The ticket will be valid for the period as specified at the time of purchase.

12. Right of admission in the Ropeway area and Ropeway shall be at sole discretion of the Company and the company may refuse any person/group sale of its tickets without assigning any reason whatsoever.

13. No eatables /food items shall be allowed to be taken by any passenger on the Ropeway except medicines and baby food.

14. It shall be the company's prerogative whether to allow or not to allow the disembarkation of any passenger at the top terminal due to any security/safety reasons and that the command for non-opening of the cabin doors may be given so as to bring the passenger's back to the base station safely.

15. The security staff may remove objectionable items from the passengers and their baggage during the pre-embarkation checks and retain them in sealable bags which shall be returned to the passengers upon their return to base station however no responsibility shall lie with the company in regard to the removed articles of objection.

16. The passenger would be required to keep the entry Stubs/Ticket copy till the time they return back to base station after completing their journey and that the passenger(s) would be required to show on demand to any staff of the company such tickets/entry Stubs in the event of the passenger failing to show on demand such ticket/entry stub he may be stopped from boarding the Gondola and may be asked to pay the full price of tickets.

17. No baggage shall be allowed to be carried in the cabin except:

- (i) Ladies purse of reasonable size
- (ii) An over coat
- (iii) An umbrella / walking stick
- (iv) Reading materials
- (v) Camera/ binoculars
- (vi) Baby food and articles of medical necessity including wheelchairs, and that the company may charge a fee depending on the size and weight of the baggage to be carried other than mentioned above.

18. The company reserves to itself the right, without assigning any reason, to the commencement or continuance of the Ropeway without thereby incurring any liability in damages or otherwise to the passengers or any other person on any ground whatsoever. The company also reserves to itself the right to refuse to carry any person whom it considers unfit to travel or who in the opinion of the company may constitute risks to the Ropeway or the persons onboard.

19. If at any stage it is found that the Cabin with the booked load or passengers etc. will be over loaded the company will have the right to decide which passenger or articles shall be off-loaded and such decision shall be binding.

20. The company is not liable for any loss or damage occasioned by the passengers to their belongings.

21. The company undertakes to use its best efforts to carry the guest and baggage with reasonable dispatch. The company assumes no responsibility for delay of bringing back the passengers from the top station to base station due to reasons beyond the control of the company.

22. The company shall conduct body search as an important phase prior to embarkation where Security Staff shall carry out body search either by HHMD or with hand and that the passengers shall not object to the same. Special attention shall be given to the following points while the body search is being carried out.

- (a) Raincoat or Jacket carried in hand, if any.
- (b) Rolled Newspapers magazines and books etc.
- (c) Hats, hat lining, visual check of hair.
- (d) Inside collar or jackets and lapels.
- (e) Padding of shoulders in jacket/suit.
- (f) Armpits, Jacket sleeves and Palms of hands. Random check on wrist watches.
- (g) Inside Jacket including all pockets.
- (h) Chest/Breast including, ties and shirt pocket, if any.
- (i) Down the back emphasis to the spine, shoulder blades.
- (j) Full circumference of waist, chest, and belt plus buckle if worn.
- (k) Trousers pockets lower part of butt tucks.
- (l) Inside crotch, hands around each leg from top of inner thigh down to ankles.
- (m) Check socks and turn-ups.
- (n) Skis and Allied equipment, Adventure equipment, Paragliders, harnesses any other baggage as allowed by the company.
- (o) Shoes and high boots, possible use of metal detectors.

23. The company policy to handle Disruptive, Aggressive, Drunk Passenger/Person and Passenger/Person with criminal intent shall be as follows:

(A) Disruptive Passengers at the Ropeway

There may be contingencies where the company staff will have to deal with disruptive passengers both on lower terminal and upper terminal. The company policy is to protect all staff, Guests and Customers at stations and in flight from disruptive and drunken passengers and from the effect of crime. The company may take firm action to deal with disruptive and drunken passengers and may not tolerate any threats, abuse insults or assaults from them. The company staff deemed to have acted properly will under provision of section 37 of the Ropeway Act shall report to the police and detain any such person to the police for criminal offences. An incident detail manifest annexed as (Annexure-II) shall be filled by the staff of the company and handed over to the police along with the detained passenger(s).

(B) Aggressive Passengers

When faced with an aggressive passenger the first priority will be own safety and that of others. The staff will try to calm the passenger down or diffuse the situation by other

means. If this does not happen then the matter may be dealt under the provision of Section 36 of the Act.

(C) Passengers who are Drunk

Drunken passengers will be asked to leave the terminal buildings immediately and not allowed back until they have sobered down and shall be refused to embark the Gondola as they may pose a safety hazard for themselves and other passenger(s).

(D) Assaults

The Company will not tolerate any physical assaults or threat by passenger(s) or any other person on its staff in or outside the Ropeway premises. If assaulted the police will be called at once and prosecution under Section 36 and Section 37 of the act shall be initiated. An incident detail manifest as annexed shall be filled by the staff of the company and handed over to the police along with the detained person(s).

(E) Criminal Damage

If any person or passenger(s) commits any damage including criminal damages fully or partially to the Ropeway property he would be required to compensate, furnish to the full extent the damage done by him and the company may detain such person under the provision of Section 37 of the said act and may hand him over to the police and action under relevant law will be initiated.

24. The company shall not be responsible for the belongings left by the passengers in the Cabin or the Ropeway premises. However, on finding any leftover articles the company staff shall preserve the same in the lost and found area in the companies' premises for any claims until a period of 45 days after which it shall be suitably disposed of or auctioned by the company.

25. The smooth and safe operation of the Ropeway on day-to-day basis is responsibility of the operating and Engineering staff which has been carefully appointed by the company and where the company has invested in the training and grooming of such staff for the requirement of the Ropeway operation any breach of safety regulations on part of any employee shall be the sole responsibility of that employee.

26. In case any person of the staff whether Technical or Non-Technical is found to be involved in an act which may put into jeopardy the Ropeway or assets of the company or endanger the safety and security of any person, passenger(s) including himself or is found to be indulging with any person in a manner that could reveal the operative methods and other confidential information of the company. Such person on the discretion of the company can be detained and handed over to the Police for further trail in the Court under the relevant Law/Act, and the employee/staff will be removed from his post and may cease to be employee of the company, where the sole responsibility shall be of such staff. Further if deemed fit the company may take legal recourse against such staff for his act of negligence and he may be charged with an intention of Sabotage and breach of trust.

27. The Company may appoint and empower any of its employee(s) through a board resolution who shall be responsible for the day-to-day operations, safety and security of the passengers and shall be authorized to deal with any department including the Ropeway Inspector or

any representative of the Govt. where the entire responsibility of the daily operations, safety and security of Passengers and staff shall lie with such employee or employees.

28. If any passenger, individual or person is found to be present in any area which is out of bounds for such person or is found involved or a suspected to be involved in any activity which could harm, damage or put into risk the operation of the Ropeway or assets of the Company in a manner that may harm any person or staff including being involved in theft of Ropeway equipment may be detained and handed over to the Police or information of any such person may be forwarded to the Police for suitable action under relevant Law/Act, and proceedings of criminal intent may be initiated against him.

29. The Passengers/employees shall be bound to abide with the bye-laws of this Ropeway and the provisions of the Himachal Pradesh Ropeways Act.

30. The Staff that shall be deployed for operation and maintenance of the Mata Baglamukhi ropeway under sub section-E Chapter IX shall be as follow:

Technical (Operation & Maintenance)	No. of Employee	Qualification	Experience
Resident Manager-cum station in-charge	1	Diploma and above	Minimum 5 Year
Operator	4	Diploma and above	Minimum 3 Year
Mechanical Fitter	1	ITI and above	Minimum 2 Year
Electrician	1	ITI and above	Minimum 2 Year
Helpers	1	ITI and above	Minimum 1 Year
Administrative Manpower			
Customer Care Executive	2	Graduate and above	Minimum 1 Year
Ushers	2	10 th and above	—

The staff shall be employed by the company after selection and verification of academic and moral profile, such selected personal shall be employed for a probation period of one year in case of technical department and six months for non-technical departments and after completion of their probation or training period as the case may be they shall be considered as permanent employees of the company.

31. The Bye Laws under section 27 and sub-section 2 shall be as follow:

- (a) Any person who contravenes the provisions of the bye-laws shall be liable to pay a fine to the extent not exceeding Rs. 5000/-
- (b) In case breach of bye-laws by the promoter's servant the company shall forfeit a sum not exceeding one month pay of the servant responsible for the act and may further take suitable action under the provision of the company bye-laws.

(Annexure-I)

SCHEDULE OF PROHIBITED ARTICLES FOR MATA BAGLAMUKHI ROPEWAY

Sl. No	Name of Items
1.	Sealed Tins
2.	Knives
3.	Scissors
4.	Nail Cutters
5.	Gas Lighters
6.	Razor Blades
7.	Darts
8.	Sporting Bats
9.	Trademan Tools
10.	Staplers
11.	Syringes
12.	Catapults
13.	Household Cutlery
14.	Pickles & Spices
15.	Any type of Powder
16.	Pellet Guns
17.	Pepper Spray
18.	Pistols
19.	Plastic explosives
20.	Poolcues
21.	Portable Power drills
22.	Portable Power saws
23.	Revolvers
24.	Rifles
25.	Road Flares
26.	SCUBA Knives
27.	Sabres
28.	Screw drivers
29.	Shot Guns
30.	Spear Guns
31.	Starter Pistols
32.	Straight razors
33.	Stun Gun Shocking Device
34.	Swords
35.	Teargas
36.	Throwing Stars
37.	Toy Transformer robots
38.	Toy weapons
39.	Fire Extinguishers
40.	Flare Pistols

41.	Gun Lighters
42.	Gun Powder
43.	Hammers
44.	Hand Grenades
45.	Hatchets
46.	Hockey Sticks
47.	Hunting Knives
48.	Ice Axe / Ice Pick
49.	Knives (Any Length)
50.	Kubatons
51.	Large heavy tools
52.	Mace
53.	Martial arts devices
54.	Metal scissors
55.	Axes
56.	Baseball Bats
57.	BB Guns
58.	Billy clubs
59.	Blackjacks
60.	Blasting Caps
61.	Bows & arrows
62.	Box Cutters
63.	Brass Knuckles
64.	Bull Whips
65.	Cattle Prods
66.	Compressed art guns
67.	Cork screws
68.	Crowbars
69.	Disabling chemical sor gases
70.	Dynamite
71.	Chilly Powder
72.	Radio active material
73.	Cigarettes, Cigars, Smoking pipes
74.	Matches
75.	Gutkas, Chewable Tobaccos

(Annexure -II)

INCIDENT DETAILS MANIFEST

**To be filled by the Ropeway Staff/Security Staff
In the event of any unwarranted incident conducted by any Passenger**

- (i) Was the Passenger an aggressive passenger?

Yes	No
-----	----
- (ii) Was the passenger a Drunken Passenger?

Yes	No
-----	----
- (iii) Was the passenger a Threatening, abusive and Insulting passenger?

Yes	No
-----	----
- (iv) Has the passenger cause any Damages?

Yes	No
-----	----
- (v) Has the passenger violated any rules of Section 34, 35 of the Himachal Pradesh Ropeway Act?

Yes	No
-----	----
- (vi) Has the passenger been involved in any Other act of Unruly behaviour? (Give details)

Yes	No
-----	----
- (vii) Did the passenger physically assault any staff ?

Yes	No
-----	----
- (viii) Did the passenger use any abusive Language?

Yes	No
-----	----
- (ix) Did the passenger cause any criminal Damage to Ropeway property?

Yes	No
-----	----
- (x) Did the passenger manhandle any staff?

Yes	No
-----	----
- (xi) Did the passenger threaten, assault or Abuse any staff?

Yes	No
-----	----
- (xii) Did the passenger disobey the staff?

Yes	No
-----	----
- (xiii) Did the passenger resort to any other Unruly Behaviour? (Give details)

Yes	No
-----	----
- (xiv) Did the person have any criminal intent or intent of sabotage?

Yes	No
-----	----

Name:

Department:

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वेबसाइट <http://rajpatrahimachal.nic.in> पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।